

भारत के न्याय

100

Rs. 100



100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश

GN 151164



शपथ पत्र  
(प्रारूप- 'अ')



हम डा० अनिल सिंह (अध्यक्ष) एव डा० आशा सिंह (सचिव), कमरा अध्यक्ष एव सचिव भगवन्त यूनिवर्सल एजुकेशनल सोसायटी, ए-926, डी०एल०एफ० टावर, जसौला विहार, नई दिल्ली शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि-

1. यह कि हनारी सोसायटी भगवन्त यूनिवर्सल एजुकेशनल सोसायटी, ए-926, डी०एल०एफ० टावर, जसौला विहार, नई दिल्ली द्वारा भगवन्त इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नॉलाजी, हापुड नामक डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हनारी सोसायटी भगवन्त यूनिवर्सल एजुकेशनल सोसायटी, ए-926, डी०एल०एफ० टावर, जसौला विहार, नई दिल्ली के नाम ग्राम-परसौन तहसील-धौलाना जिला-हापुड में गाटा संख्या 487 एव 488 रकबा क्रमशः 759 एव 177 हेक्टेयर (कुल रकबा 936 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी दाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 487 एव 488 रकबा क्रमशः 759 एव 177 हेक्टेयर (कुल रकबा 936 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसायटी की बैठक दिनांक 15.03.2021 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रसंगत डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित भवनों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसायटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
8. यह कि इस संस्था में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसायटी द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जाएगा।

80 सचिव

sworn before me on this 2 day of the 2023  
by Dr. Anil Singh & Dr. Asha Singh 80 अध्यक्ष  
who has been Notary  
who is personally known to me  
whose signature is attached to appended

2/2023  
Gajendra Pal Singh  
NOTARY  
MUNGA - 246701 (U.P.)